रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 12, 1987/श्रावण 21, 1909
No. 172] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 12, 1987/SRAVANA 21, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1987

शुद्धिपत्र

फाईल सं. आर. 11012/1/84-आर. डब्ल्यू.—इस समय के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम विभाग के दिनांक 17-11-1984 का संकल्प संख्या आर. 11012/1/84-आर. डब्ल्यू जो उसी तिथि को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 1, खण्ड-1 में

प्रकाशित किया गया और श्रम मंत्रालय का यथा संशोधित समसंख्यक शुद्धिपत्र दिनांक 17 मई, 1985 के पैरा 5 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्,

"5. त्रिपक्षीय अध्ययन ग्रुप अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1987 की 30वीं तिथि को अथवा उससे पहले प्रस्तुत करेगा।"

ए० के० श्रीवास्तव, महानिदेशक (श्रम कल्याण)

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 12th August, 1987

CORRIGENDUM

File No. R-11012/1/84-RW.—In the then Ministry of Labour & Rehabilitation Department of Labour, Resolution No. R-11012/1/84-RW dated the 17th November, 1984, published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-I on the same date and as modified vide the Ministry of Labour Corrigendum of even number dated the 17th May, 1985, for paragraph 5, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"5 The Tripartite Study Group will submit its report on or before 30th day of September, 1987".

A. K. SRIVASTAVA, Director General (Labour Welfare)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987